



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, पर्यावास भवन नया रायपुर
!! संपदा प्रबंधन !!

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़
www.cgmb.gov.in

आदेश

क्रमांक.....104...../2016

दिनांक 31/12/2016

विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्ववित्तीय योजनांतर्गत भवन आबंटियों को बकाया राशि जमा करने में विलंबित अवधि ब्याज में छूट की समयावधि बढ़ाने बाबत।

--000--

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के आदेश क्रमांक 86/2016 दिनांक 26.11.2016 से स्ववित्तीय योजनांतर्गत भवन आबंटियों द्वारा दिनांक 15 जून 2016 तक की बकाया संपूर्ण राशि दिनांक 31.12.2016 तक जमा करने पर विलंबित अवधि ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है तथा विमुद्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एवं संपदा अधिकारियों के अनुरोध पर आगामी मण्डल सम्मिलन की अनुमोदन की प्रत्याशा में मण्डल के आदेश क्रमांक 87/2016 दिनांक 03.12.2016 द्वारा स्ववित्तीय योजनांतर्गत आबंटियों द्वारा दिनांक 31.12.2016 तक की बकाया संपूर्ण राशि दिनांक 31 जनवरी 2017 तक जमा करने पर विलंबित अवधि की ब्याज राशि पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

वर्तमान में संपदा अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार छूट की अवधि बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः संपदा अधिकारी के अनुरोध पर विचार करते हुए आगामी मण्डल सम्मिलन के अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त छूट की अवधि में दिनांक 31.03.2017 तक वृद्धि की जाती है।

(आदेशानुसार)

मुख्य संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन नया रायपुर


पृ.क्र. 1000/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-183/16 रायपुर, दिनांक 31/12/2016

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. निज सचिव आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।

---02---

5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
9. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/वृत्त-नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
10. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर रायपुर।
12. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/राज. परि.संभाग-1,2, रायपुर/संभाग-दुर्ग/ राजनांदगांव/ बिलासपुर/कोरबा /रायगढ़/ धमतरी/ कवर्धा/ महासमुन्द्र /जगदलपुर/ कोण्डागांव/अंबिकापुर/विद्युत संभाग 01 नया रायपुर/विद्युत संभाग 02 रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
13. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03,04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा /बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द्र/की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
15. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।


मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर